प्रेस नोट
दिनांक 04.04.2026,
जनपद गोण्डा।

थाना को0 देहात क्षेत्रान्तर्गत हुए ब्लाइंड मर्डर का सफल अनावरण, हत्याभियुक्त गिरफ्तार, आलाकत्ल चाकू बरामद-कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय में पंजीकृत मु0अ0सं0-232/2026, धारा 87 बीएनएस व बढोत्तरी 103(1), 238 बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी हत्याभियुक्त अरुण कुमार पुत्र बैजनाथ कुम्हार नि0 चौगाई थाना काराकाट (गोड़ारी)जिला रोहतास (बिहार) को रेलवे स्टेशन गोण्डा से सोनी गुमटी को जाने वाली रोड पर से गिरफ्तार कर उसके निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद चाकू बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30.03.2026 को थाना को0 देहात पर वादी अशोक कुमार पुत्र रामनरेश नि0 भीटी भदवल थाना को० देहात गोण्डा ने सूचना दी कि उनकी लड़की शीला उम्र करीब 25 वर्ष दिनांक 29.03.2026 को दोपहर में खेत पर गयी थी, जो अब तक वापस नहीं आयी है काफी तलाश की गयी लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 232/2026 धारा 87 बीएनएस पंजीकृत किया गया। दिनांक 02.04.2026 को थाना को0 देहात क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भदावल में एक गन्ने के खेत में एक युवती के शव पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली, जिस पर तत्काल स्थानीय पुलिस एवं उच्चाधिकारीगण द्वारा मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया, शव की शिनाख्त कराई गई तो वादी अशोक कुमार द्वारा बताया गया कि यह शव उनकी बेटी शीला का है। शिनाख्त के बाद शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम कराया गया तथा फील्ड यूनिट/डॉग स्क्वाड टीम को घटना स्थल पर बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटना के शीघ्र एवं सफल अनावरण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के निकट पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में पुलिस एसओजी/सर्विलांस सहित 04 पुलिस टीमों का गठन कर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात को घटना का शीघ्र अनावरण करने एवं अभियुक्त की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे।

इसी क्रम में आज दिनांक 04.04.2026 को थाना को0 देहात पुलिस टीम द्वारा मैनुअल एवं तकनीकी साक्ष्य संकलन के आधार पर ब्लाइंड मर्डर का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले प्रकाश में आये हत्याभियुक्त अरुण कुमार पुत्र बैजनाथ कुम्हार नि0 चौगाई थाना काराकाट (गोड़ारी)जिला रोहतास (बिहार) को रेलवे स्टेशन गोण्डा से सोनी गुमटी को जाने वाली रोड पर से गिरफ्तार कर उसके निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद चाकू बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त अरुण ने बताया कि उसकी शीला (मृतका) से वर्ष 2022 से बातचीत होती थी और वे कई बार मिल भी चुके थे। वह उससे प्यार करता था, और सहयोग के रूप में शीला (मृतका) को वह कई बार में करीब डेढ़ लाख रुपये नगद व ऑनलाइन माध्यम से दे चुका था। दिनांक 09.03.2026 को आखिरी बार उसने ऑनलाइन माध्यम से 11 हजार रुपये शीला (मृतका) को भेजे थे। इसके बाद भी शीला (मृतका) द्वारा बार - बार पैसे की मांग करते हुए उस पर दबाव बनाया जा रहा था। इसके अलावा आरोपी को शक था कि मृतका किसी अन्य लड़के से भी बात करती है और उसको धोखा दे रही है, जिस कारण से उसका मृतका से मनमुटाव हो गया था। जिससे क्षुब्ध होकर उसने शीला (मृतका) को ठिकाने लगाने की योजना बनाई और आरोपी, शीला (मृतका) से मिलने गोण्डा आया। दिनांक 29.03.2026 को गोण्डा आकर उसने मृतका को विश्वास में लेकर ग्राम भदवल के पास स्थित एक गन्ने के खेत में मिलने के लिए बुलाया और रील बनाने का बहाना बनाते हुए उसके दोनो हाथ पीछे करके रस्सी से बाँध

दिये और चाकू से मृतका के गले पर वार करके योजनाबद्ध तरीके से उसकी हत्या कर दी और चाकू ले जाकर च्यवन मुनि आश्रम के पास झाड़ियों में छिपा दिया और उसके बाद वह मौके से फरार हो गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अरुण कुमार पुत्र बैजनाथ कुम्हार नि0 चौगाई थाना काराकाट (गोड़ारी) जिला रोहतास, (बिहार प्रान्त)।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-232/2026, धारा 87 बीएनएस व बढोत्तरी 103(1), 238 बीएनएस थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 अदद चाकू।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक शमशेर बहादुर सिंह थाना को0 देहात जनपद गोण्डा
2. उ0नि0 गौरव सिंह तोमर प्रभारी एसओजी/सर्विलांस मय टीम
3. उ0नि0 सौरभ कुमार सिंह चौकी प्रभारी सालपुर
4. उ0नि0 विजय बहादुर यादव
5. उ0नि0 आनंद उपाध्याय
6. उ0नि0 अक्षय कुमार चौधरी
7. उ0नि0 शैलेंद्र यादव
8. हे0कां0 हृदय नारायण दीक्षित सर्विलांस सेल
9. हे0कां0 संतोष प्रसाद
10. कां0 जागेश्वर गौड़
11. कां0 संजय कुमार
12. कां0 मनोज यादव
13. कां0 कलीम अली

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 04.04.2026, थाना परसपुर

थाना परसपुर पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 01 फरसा, 01 लोहे की छड़ व 02 डण्डे बरामद-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व सहायक पुलिस अधीक्षक / क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दावाच्यॉ के नेतृत्व में थाना परसपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-135/26 धारा 115(2)/352/351 (3)/118 (1)/105 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण -1. अंगद कश्यप 2. सहजराम 3. ज्योती व 4. बिट्टू नि०गण ग्राम चैन पुरवा रेक्सडिया थाना परसपुर जनपद गोण्डा को ग्राम नरायनपुर ललक स्थित उमेश कश्यप के घर से गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद फरसा, 01 अदद लोहे की छड़ व 02 अदद डण्डे बरामद किये गये।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी श्री रिंकू पुत्र बुधई कश्यप नि0 ग्राम (चेन पुरवा) रेक्सडिया थाना परसपुर जनपद गोण्डा द्वारा दिनांक 01.04.2026 को थाना परसपुर पर सूचना गी गई की गाँव के ही विपक्षीगण 1. अंगद कश्यप 2. सहजराम 3. ज्योती व 4. बिट्टू द्वारा सुबह करीब 07.30 बजे वादी को गाली गुप्ता देने लगे, मना करने पर बिपक्षीगण प्रार्थी मुक्ला थप्पड लाठी डन्डा से मारने लगे हल्ला गुहार करने पर पत्नी रानी व चाचा माघव पुत्र भगवान दास व भाई पिन्टू व पिता बुधई कश्यप पुत्र भगवान दास व भाई की पत्नी रिंकी पत्नी पिन्टू बचाने आये तो उनको भी मारने पीटने लगे मारपीट में मेरे पिता बुधई कश्यप मौके पर ही बेहोश हो गये। तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 04.04.2026 को थाना परसपुर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्तगण -1. अंगद कश्यप 2. सहजराम 3. ज्योती व 4. बिट्टू नि०गण ग्राम चैन पुरवा रेक्सडिया थाना परसपुर जनपद गोण्डा को ग्राम नरायनपुर ललक स्थित उमेश कश्यप के घर से गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद फरसा, 01 अदद लोहे की छड़ व 02 अदद डण्डे बरामद किये गये। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अंगद कश्यप उर्फ प्रिन्स पुत्र सहजराम उम्र 19 वर्ष
2. सहजराम पुत्र राम नरायन कश्यप उम्र 45 वर्ष
3. ज्योती पुत्री सहजराम उम्र 18 वर्ष
4. बिट्टू पत्नी सहजराम उम्र 40 वर्ष नि०गण ग्राम चैन पुरवा रेक्सडिया थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

1. घटना में प्रयुक्त 01 अदद फरसा
2. घटना में प्रयुक्त 02 अदद डण्डा
3. घटना में प्रयुक्त 01 अदद लोहे की छड़

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 135/26 धारा 115(2), 352, 351 (3), 118(1), 105 बीएनएस थाना परसपुर गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 अंकित सिंह मय हमराह
02. हे0का0 शोभित सिंह
03. हे0का रविप्रकाश यादव
04. का0 प्रदीप सिंह
05. म0का0 अन्जू रावत
06. म0का0 नीतू गौतम

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक - 04.04.2026

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के आरोपी वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-
श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0- 106/2026 धारा 115(2)/352/351(3)/126(2)/109(1)/117(2)/61(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अरुण कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय रामसुहावन सिंह निवासी लालापुरवा मौजा ताराडीह थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा को थाना तरबगंज गेट के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी सुभाष सिंह पुत्र रमेश्वर सिंह निवासी ग्राम लाला पुरवा मौजा ताराडीह, थाना उमरी बेगमगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 देहात में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 24-02-2026 को वे न्यायालय गोण्डा पेशी में आये थे, पेशी करके मोटरसाईकल से वापस अपने घर जा रहे थे कि कोतवाली देहात क्षेत्र ग्राम हरखापुर के पास अचानक उनकी मोटर साईकिल के आगे मोटरसाईकिल लगाकर उन्हे रोक लिया और दो अज्ञात लोग गाली देते हुये जान से मारने के नीयत से लाठी-डण्डा से मारते हुये बोले तुम को जान से मार देंगे। चिल्लाने पर स्थानीय लोग- बचाने दौड़े । इस दौरान उनके हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आयी है, वादी ने शक जाहिर किया कि ये लोग किसी के बुलाने पर जान से मारने आये थे । वादी की तहरीर पर थाना को0 देहात में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ तथा साक्ष्य संकलन के आधार पर आज दिनांक 04.04.2026 को थाना को0 देहात पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त अरुण कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय रामसुहावन सिंह निवासी लालापुरवा मौजा ताराडीह थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा को थाना तरबगंज गेट के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-
01. अरुण कुमार सिंह पुत्र स्व0 रामसुहावन सिंह नि0 लालापुरवा मौजा ताराडीह थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0 106/2026 धारा 115(2), 352, 351(3), 126(2), 109(1), 117(2), 61(2) बीएनएस थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-
01. उ0नि0 विजय बहादुर यादव
02. हे0कां0 महेश यादव
03. कां0 देवनाथ यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।